

2020/00429

FORM NO.III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
जिला जोधपुर

राजस्व विधिगत प्रार्थना पत्र संख्या : 112/2020

प्राथी

अप्राथी

सरकार जोगी तहसीलदाह इलाका बंनान गोपालदाह काँटा
किस्म नुकदना- अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर एक्ट 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21/12/20	<p>तहसीलदार लूणी के द्वारा प्राप्त भूअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत जमाबन्दी मे मौजूदा खसरो को राजस्व नक्शो मे दर्ज खसरो से वन-टू-वन मिलान के मध्यमजर जिन खसरो मे रेकर्ड, मौका व नक्शो मे भिन्नता आ रही है यथा किस्ती सरकारी खसरे मे से कई खातेदारो को पूर्व मे गं.मु.बाडा एवं अन्य किस्म के छोटे-छोटे रकबे के खसरे आवंटित किये गये जिनका नामान्तरण पूरत कर नजरी नक्शा आवंटन व आवंटन सम्बन्धी दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध नही है जिनकी दिशा व स्थिति स्पष्ट नही है। अत. ऐस खसरे को मूल खसरे मे एकीकरण के प्रस्ताव हल्का पटवारी द्वारा <u>पुरो भूमि बाणवेरी</u> अनुशया भूअनिरीक्षक <u>डा.बांवाणी</u> एवं तहसीलदार लूणी से प्राप्ता हुये, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा अन्तर्गत 131,136 के तहत मूल प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को माफिक प्राप्त मूल प्रस्ताव अनुसार (DILRMP) के तहत रेकर्ड मे एकीकरण कर रेकर्ड दुरुस्ती करे। पत्रावली फंसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।</p>	

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)